पी.एम. केयर्स फंड (PM CARES Fund)

sanskritiias.com/hindi/pt-cards/pm-cares-funds

देश में फैली **COVID-19 महामारी से लड़ने** और इसके लिये राहत कार्यों के प्रबंधन हेतु **आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष** (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund-PM CARES FUND) का गठन किया गया है।

- 'पी.एम. केयर्स' का **गठन 28 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा** किया गया। प्रधानमंत्री इस कोष के अध्यक्ष हैं, जबकि **गृह, वित्त एवं रक्षा मंत्री इसके सदस्य** हैं।
- कोष के अंतर्गत **न्यूनतम ₹ 1 तक की सूक्ष्म सहायता राशि स्वीकार** की जाएगी। कम्पनियों द्वारा इसके अंतर्गत दी गई सहायता राशि **कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी** (CSR) के अंतर्गत आएगी और इसे **कर में छूट** प्राप्त होगी।
- **30 जून, 2020 से पूर्व** इस कोष में दी गई **किसी भी सहायता राशि को कर में छूट प्राप्त** (चैरिटी के लिये दान) होगी।
- वर्ष 1948 में गठित **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष** (PMNRF) इस कोष से इस रूप में भिन्न है कि- MNRF का उपयोग **प्राकृतिक व मानवजन्य आपदाओं से निपटने तथा कुछ हद तक महँगे चिकित्सकीय उपचारों के लिये** किया जाता है; जबकि पी.एम. केयर्स फंड का उपयोग **COVID-19 या भविष्य में इसी तरह की अन्य महामारियों से निपटने में** किया जाएगा।